

नगर परिषद पालमपुर जिला कांगडा हि0 प्र0
सिटिजन चार्टर

1. स्टीट लाईट/सफाई सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा : दो दिन के भीतर
2. जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना : तुरन्त
3. भवन नक्शों की स्वीकृति : 60 दिन के भीतर
4. बिजली/पानी के अनापति प्रमाण पत्र जारी करना : एक सप्ताह के अन्दर
5. नालियों/सडकों व गलियों की मुरम्मत आदि की शिकायतें : सात दिन के अन्दर
6. गृहकर मूल्याकन सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा : दो माह के भीतर
7. लाईसेंस जारी करना : एक माह के भीतर
8. अन्य किसी भी शिकायत/प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही : सात दिन के अन्दर
9. स्वतन्त्रता सैनानी /अपंग/ वरिष्ठ नागरिक एवं विधवा व वृद्ध महिलाओं के मामलों पर कार्यवाही : प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

सप्ताह के हर सोमवार को लोगों की शिकायतों व सुझावों को सुना जाता है तथा उनका निपटारा किया जाता है।

कार्यकारी अधिकारी,
नगर परिषद पालमपुर।